

कार्यालय नीलामी समिति, जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय परिसर में स्थित दुकान/पुरानी कैण्टीन नजारत के सामने चाय, चाट, लस्सी तथा दुकान फोटो स्टेट एवं फोटोग्राफी एवं दुकान फल, जूस एवं सूखे मेवे की नीलामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दिनांक 27.03.2026 को सायं 04.30 बजे जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद के प्रांगण में केन्द्रीय नजारत के सामने की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होकर नीलामी में निम्न शर्तों के अनुसार बोली बोल सकते हैं।

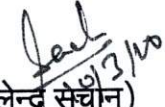
नीलामी निम्न शर्तों के अधीन की जायेगी:-

- 1- दुकान/पुरानी कैण्टीन नजारत के सामने पूर्व की ओर मुख्य द्वार से सी.जे.एम. न्यायालय को जाने वाली सड़क पर दाहिनी ओर स्थित (बहुउद्देशीय कार्य हेतु), दुकान फोटो स्टेट सी.जे.एम. न्यायालय को जाने वाली सड़क पर दाहिनी ओर स्थित (बहुउद्देशीय कार्य हेतु) तथा दुकान फल जूस सूखे मेवे के बोलीदाताओं को 20,000/- रुपये अग्रिम धनराशि धरोहर के रूप में बोली बोलने से पूर्व जमा करनी होगी।
- 2- निविदा दाता को जमानत धनराशि जमा करते समय प्रत्येक निविदा दाता को अपने शिनाख्त हेतु प्रमाण स्वरूप फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड अथवा ऐसे ही किसी अन्य शिनाख्ती प्रपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति दाखिल करनी होगी।
- 3- जिन ठेकेदारों/दुकानदारों पर पिछले वित्तीय वर्ष का दुकान के ठेके का धन अवशेष होगा वह ठेकेदार अवशेष धन को जमा करने के उपरांत ही निविदा दाखिल करने का अधिकारी होगा।
- 4- बोली स्वीकृत होने के पश्चात जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के तुरन्त बाद बोली की सम्पूर्ण धनराशि का 1/4 भाग सम्बन्धित ठेकेदार को तत्काल जमा करना होगा। शेष धनराशि तीन समान त्रैमासिक किस्तों में दिनांक 01.07.2026, 01.10.2026 व 01.01.2027 को जमा करनी होगी।
- 5- किसी भी ठेकेदार को नियत स्थान के अतिरिक्त दूसरे स्थान पर दुकान लगाने का अधिकार नहीं होगा।
- 6- बोली स्वीकृत होने पश्चात एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित ठेकेदार को अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुबन्ध पत्र के साथ फोटो, मु0 100/- रुपये का स्टाम्प शुल्क तथा दो गारन्टर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त गारन्टर एवं ठेकेदार अपने आधार कार्ड/पैन कार्ड अथवा बैंक पासबुक की छायाप्रति अनुबन्ध पत्र के साथ मय मूल प्रति के प्रस्तुत करेंगे। मूलप्रति बाद में वापस कर दी जायेगी। किसी भी ठेकेदार को बिना अनुबन्ध पत्र निष्पादित किये दुकान प्रारम्भ करने का अधिकार नहीं होगा।
- 7- कोई भी ठेकेदार किसी दूसरे ठेकेदार को अपना गारन्टर नियुक्त नहीं कर सकेगा।
- 8- किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को होगा।
- 9- अधिकतम निविदा वाले ठेकेदार के द्वारा धरोहर के रूप में जमा की गयी धनराशि का समायोजन ठेके की अन्तिम किस्त में किया जायेगा। अन्तिम किस्त तक धरोहर की धनराशि धरोहर के रूप में सुरक्षित जमा रखी जायेगी।

10- नीलामी की अधिकतम निविदा दाखिल करने वाला व्यक्ति यदि निर्धारित समय के अंदर निविदा की धनराशि का 1/2 भाग जमा करने में असफल रहता है तो अनुबन्ध निरस्त करके उसके द्वारा अग्रिम रूप से जमा धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा दुकानों को पुनः नीलामी द्वारा ठेके पर उठा दिया जायेगा।

11- यदि निविदा दाता द्वारा उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या उसके द्वारा किसी किस्त का भुगतान निर्धारित समय के अन्दर नहीं किया जाता है तो उसका अनुबन्ध तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार बकाया धनराशि की वसूली की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

दिनांक: 10.03.2026

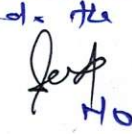

(शैलेन्द्र सैचीन)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.)
जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रभारी अधिकारी नजारत को सूचनार्थ।
- 2- जिला न्यायालय, फर्रुखाबाद के नजारत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 3- कलेक्ट्रेट नजारत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 4- नगर पालिका परिषद, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 5- जिला पंचायत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 6- जिला सूचना अधिकारी, फतेहगढ़ को निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- 7- नोडल अधिकारी कम्प्यूटर्स, जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद को जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद की वेबसाइट तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 8- बाह्य न्यायालय, कायमगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
- 9- शासनादेश सं0 562/19-02-2007-1007/74 (T.C.) dated July 2007 के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1607/Admin. (B-V) Section: Allahabad Dated May 10, 2024 के निर्देशानुसार निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जाये।

दिनांक: 10.03.2026


(शैलेन्द्र सैचीन)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.)
जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद।

0
S-A to be the needful

No